(SSC GD 2025)

(अवसर बैच)

Polity-

Class-13

मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण

प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची तीन में दिए गये प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है।

शपथ → PM + Minister

(PM + COM) ↓ सरकार

- ↳ अनुसूची
- ↳ 2 प्रकार → पद, गोपनीय
- ↳ शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलायी जाती है।

→ मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल

मंत्रीपरिषद् तभी तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो।

PM + COM → कार्यकाल 5 वर्ष

Minister (मंत्री) ⇒ PM के विश्वास पर

प्रधानमंत्री कभी भी राष्ट्रपति से किसी मंत्री को उसके पद से हटाने की सिफारिश कर सकता है।

PM → न्यूनतम आयु ⇒ 25 वर्ष

मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या

किन्तु 91 वें संविधान संशोधन - 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद् में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोक सभा के कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

LS ⇒ 543 × 15% ⇒ Max. no. ⇒ (COM)
अधिकतम संख्या।

→ सामूहिक उत्तरदायित्व

अनु० 75(3) में कहा गया है कि, 'मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

Que- केंद्रीय मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?

(PM + COM) → MP → (LS) → इनसे प्रश्न पूछते हैं।

(MP) → जनता के प्रतिनिधि
→ (LS)
→ Direct election

अनु. 78 के तहत प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद् एवं राष्ट्रपति के मध्य संवाद की एक कड़ी बनाया गया है।

प्रशासन या विधान संबंधी मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे।

Art. 78 → PM का कर्तव्य

राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के मध्य मध्यस्थ की भूमिका

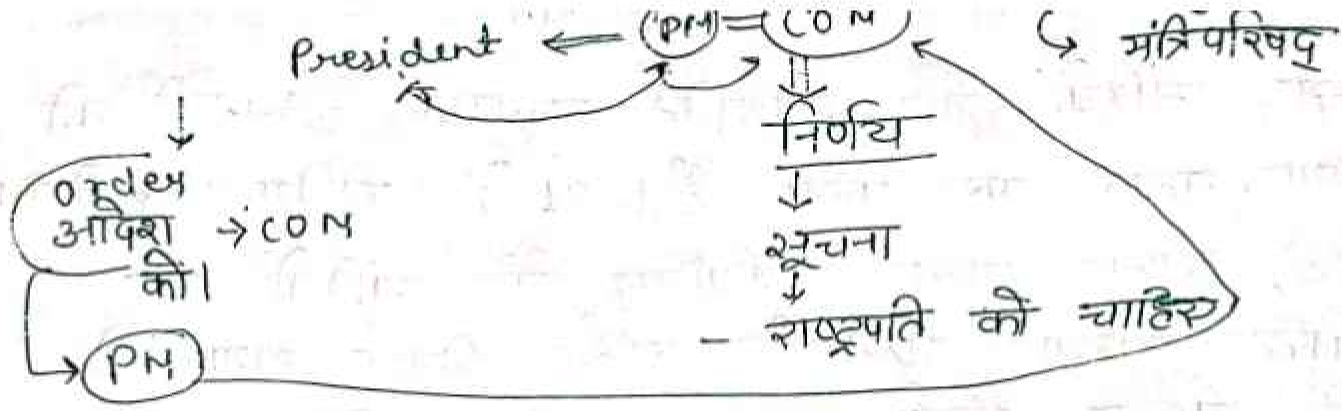

केंद्र = राज्य

PM = CM

मंत्रिपरिषद → मंत्रिपरिषद्
राष्ट्रपति → राज्यपाल
लोकसभा → विधानसभा
राज्यसभा → विधानपरिषद्

→ राज्य मंत्रिपरिषद्

अनु॰ 163 के अनुसार कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा

→ मुख्यमंत्री की नियुक्ति

अनु॰ 164 (1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा।

विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं।

→ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति

अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की मंत्रणा (सलाह) पर करता है। 91 वें संविधान संशोधन (2003) द्वारा राज्य मंत्रीपरिषद् में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधान सभा की कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत नियत किया गया है।

→ मंत्रियों की योग्यताएं

विधानमण्डल के किसी सदन के सदस्य हों। परंतु मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद् में शामिल कर सकता है जो विधानमण्डल का सदस्य नहीं है किन्तु शर्त यह है कि उसे 6 माह के भीतर विधानमण्डल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है।

CM | Minister

विधानमंडल (legislature) [विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद् सदस्य] → इन दोनों में किसी एक सदस्य

→ मंत्रियों द्वारा शपथ - ग्रहण

राज्यपाल द्वारा शपथ दिलायी जाती है। प्रथम पद की शपथ तथा दूसरी गोपनीयता की शपथ। शपथ का प्रारूप अनुसूची तीन में दिया गया है।

→ मंत्रियों की श्रेणियाँ

मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ होती है -

(i) कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य
(ii) राज्य मंत्री और
(iii) उपमंत्री

+ PM = (CON)

→ मंत्रिपरिषद् और कार्यकाल

सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद् का अधिकतम कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल जितना, अर्थात 5 वर्ष तक हो सकता है।

Minister का कार्यकाल = मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर, विश्वास समाप्त होने पर मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहकर हटवा सकते हैं।

Que- CM + Minister कौन हटायेगा ? = राज्यपाल

Que - CM + Minister किसके प्रसाद पर्यंत पर धारण करेंगे? = Governor

→ सामूहिक उत्तरदायित्व

मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है
- विधान सभा → जनता का सदन → MLA

CM + Minister → प्रश्न पूछेगा (MLA's)

अनु॰ 167 के तहत, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णय राज्यपाल को संसूचित करें,

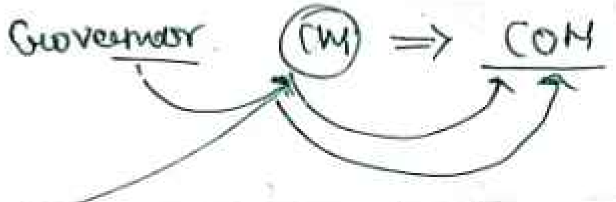

Art. 167 => CM

राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के माध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं।

Art. 167 => CM के कर्तव्य

=> Play the role of mediator between Governor & COM

→ भारत का महान्यायवादी

भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है तथा भारत की सरकार को विधिक मामलें पर सलाह देता है। वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधि भी करता है।